फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर

नरेन्द्र बनाम पप्पू

मुकदमा संख्या/वर्ष दावा 41/2022 /20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/10/24.	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11, सपठित धारा -10 व 151, सिविल प्रक्रिया संहिता पेश हुयी है। अधिवक्ता उभयपक्षकारान हाजिर है। वादी ने यह वाद-पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-188, राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया है। वादी० ने वाद-पत्र के चरण संख्या -① में विवादित आराजी का उल्लेख किया है, जो कि राजस्व ग्राम झोटवाड़ा, पटवार हल्का झोटवाड़ा, तह० जयपुर, जिला- जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर-342	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय — सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर

बनाम

मुकदमा संख्या / वर्ष : ______/20____

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		रकबा 3.2501 हैक्टयेर आराजी है। वाद के समर्थन में वादी ने जमाबंदी पेश की है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सहकाश्तकार दर्ज है। प्रतिवादी सं.-3/प्रार्थी ने एक प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर कथन किया है कि एक पूर्ववर्ती वाद, वादी ने न्यायालय उपखंड अधिकारी, जयपुर-प्रथम के समक्ष बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया हुआ है अतः यह वाद धारा-⑩, CPC से बाधित है। [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	

फर्द अहकाम

न्यायालय — सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर

नरेन्द्र बनाम पप्पू

मुकदमा संख्या/वर्ष दावा 41/2023 /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/10/24	दूसरा, प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी ने यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, विवादित भूमि पर सहखातेदारों के विरुद्ध पेश किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है अतः वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किए जाने योग्य है। अप्रार्थी। वादी ने जबावी	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर

बनाम

मुकदमा संख्या / वर्ष : ______/20____

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए दौराने बहस जाहिर किया कि पूर्ववर्ती वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है एवं यह वाद केवल स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए है अतः वाद धारा-10, सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित नहीं है। दूसरा, वाद में सहखातेदारों के अतिरिक्त अन्य को भी पक्षकार संयोजित किया गया है। अतः वाद विधि द्वारा वर्जित होने की श्रेणी में नहीं है। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन करते एवं	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

यालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर

नरेन्द्र बनाम पप्पु

कदमा संख्या/वर्ष दावा 41/2024 /20

सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/10/24.	पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वादी ने पूर्ववर्ती वाद में भी स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है एवं यह वाद-पत्र इन्हीं समान पक्षकारों के मध्य है किन्तु धारा-10, सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित वाद को खारिज ना किया जाकर उस पर कार्यवाही रोके जाने का प्रावधान विधि में उल्लेखित है, इसलिए धारा-10, सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित वाद को, आदेश 07 नियम 11, सिविल प्रक्रिया	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर

बनाम

मुकदमा संख्या / वर्ष : ____/20__

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		संहिता के Purview में शामिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। दूसरा, वादी ने यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा - 188, राज० काश्तकारी अधिनियम पेश किया है एवं सहखातेदारों के विरूद्ध पेश किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए वाद - विधि द्वारा वर्जित होना सिद्ध है। अतः प्रार्थी का	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

यालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर

नरेन्द्र बनाम पप्पू

कदमा संख्या / वर्ष दावा 41/2023 / 20

०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29	10/24.	प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर, वादी का वाद-पत्र, विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29/10/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	